

DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION

इमारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्व-निर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No : 899534010623011848

Date : 01-06-2023

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2023-2024

श्री/श्रीमती/सुश्री SAJAN DEVI W/O PRINCE KUMAR,
गोहल्ला CHAKSHRI MISAR BANDH ANAND NAGAR DEOGHAR DEOGHAR
DEOGHAR, 814112
9682375862

एतद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह स. - 0220000671000MG जॉर्डे स. 22 हुआ है. आपके स्व-निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1	गृह कर	67.00
2	जल कर	0.00
3	शौचालय कर	0.00
4	विजली कर	0.00
5	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		67.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कडिका 11.4 के अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान वैसासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण धृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियासत दी जायेगी।
- किसी देय धृति को निर्दिष्ट समयबद्धि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह सजावट के आधार पर ब्याज देय होगा।
- गृह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एव की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है. इस स्व-निर्धारण-सह-घोषणा पत्र के आधार पर आप स्व-निर्धारण कर दे सकते हैं एवं तथ्य सत्य पाए जाने पर नियमावली कडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एव अंतर राशि देय होगा।
- DEOGHAR MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमारतों/घाटों को कोई कागज़ी दस्तावेज़ नहीं करता है और/या न ही अपने सचिवों/दखलदार को कोई कागज़ी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होलिडिंग नामों का आधिसूची अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.